उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-02/2014-15

ताला सोरेन

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

8/08/17

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता ताला सोरेन, पे0—स्व0 भुटका सोरेन, सा0—बुधासन, थाना—मेहरमा, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0—27/12—13 (शेख पप्पू बनाम् ताला सोरेन वगै0) के आदेश दिनांक—04.01.2014 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0—27/12—13 के आदेश दिनांक—04.01.2014 के द्वारा मौजा—बुधासन नं0—01 जमाबंदी सं0—21 दाग नं0—798 रकवा 02—14—00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0—2 शेख पप्पू, पे0—शेख छंगुरी, सा0—कसवा(दूधिचक) थाना—मेहरमा, जिला—गोड्डा ने अपीलकर्त्ता एवं उनके भाई को मौजा—बुधासन जमाबंदी सं0—21 दाग नं0—798 रकवा 02—17—07 धुर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20(5) एवं 42 के तहत उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आर0ई0आर0 केश नं0—27/12—13 दायर किया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उक्त वाद निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को हस्तान्तरित किया गया था। उक्त जमीन मौजा—बुधासन नं0—1 जमाबंदी सं0—21 दाग नं0—798 रकवा 02—17—07 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट में शेख जोगी एवं अन्य के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0—798 रकवा 02—14—00 धुर जमीन कुर्फा के माध्यम से वर्ष 1936 ई0 में जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा वैध तरीका से अपीलकर्त्ता के पिता को प्राप्त हुआ था। उक्त कुर्फा बंदोवस्ती के समर्थन में गोड्डा न्यायालय परिसर में एक शपथ

पत्र सं0–4515 दिनांक–03–06–1998 भी बना दिया था कि अपीलकर्त्तागण उक्त जमीन पर लम्बी अवधि से शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार हैं एवं शांतिपूर्ण ढंग से जोत आबाद भी कर रहें हैं। उत्तरवादी सं0–2 अपीलकर्त्ता के पूर्वज के नाम से 1936 में कुर्फा से बंदोवस्त जमीन को हड़पने के नियत से निम्न न्यायालय में उच्छेदी वाद दायर किया था। जबकि उत्तरवादी सं0–2 का उक्त जमीन से कोई संबंध नहीं है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का दखल 1936 ई0 से लगातार है। इसलिए अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर 1949 से 12 वर्ष पूर्व से लगातार दखल होने के कारण अपीलकर्त्ता का हक भी कायम हो गया है। लेकिन निम्न न्यायालय ने नियम विरूद्ध अपीलकर्त्ता को उक्त जमीन से उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं0–2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बुधासन जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–798 रकवा 02–17–07 धुर जमीन उत्तरवादी सं0–2 के पूर्वज के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन के जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी सं0–2 के पैतृक जमीन को जबरन कब्जा करके रखा है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–195/रा0 दिनांक–05.03.2020 एवं 168/रा0 दिनांक–01.03.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–बुधासन नं0–01 के जमाबंदी नं0–21 के दाग नं0–798 के अन्तर्गत रकवा 02–17–07 धुर जमीन उत्तरवादी सं0–2 शेख पप्पू के पिता–शेख छंगूरी से कुर्फा बंदोवस्ती द्वारा प्राप्त करने का दावा किये हैं। जिसके एवज में शपथ पत्र सं0–4515 दिनांक–03.06.1998 गोड्डा के न्यायालय से बनवाया गया है। खतियान के अनुसार मौजा जमाबंदी नं0–21 के दाग नं0–798 कुल रकवा 02–17–07 धुर जमीन किस्म धानी औवल जमाबंदी रैयत–शेख जोगी वल्द शेख गुनवारी व शेख हुसैनी वल्द शेख मुंशी कौम शेख शा0 देह के नाम से दर्ज है। मौजा–बुधासन के पंजी–2 में भी जमाबंदी नं0–21 कुल रकवा 05–14–14

धुर जमीन जमाबंदी रैयत–शेख जोगी वगैरह पिता–शेख मुंशी का नाम दर्ज है। अपीलकर्त्ता द्वारा कुर्फानामा दिनांक–03.06.1936 का छाया प्रति प्रस्तुत किया। साथ ही शपथ पत्र सं0–4515 दिनांक–03.06.1998 का भी छाया प्रति प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से पाया गया कि कैथी हिन्दी से लिखित कुर्फानामा, जिसमें दिनांक–03.06.1936 अंकित है। शपथ पत्र में पाया गया कि जमाबंदी नं0–21 के जमाबंदी रैयत–शेख जोगी वगैरह के वरिसानों द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता–भुटका सोरेन को उक्त जमाबंदी से दाग नं0–798 के अन्तर्गत 02–17–07 धुर जमीन प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत जमीन पर अपीलकर्त्ता के पिता द्वारा जोत आबाद किया जाता था। भुटका सोरेन के दो पुत्र हैं 1. ताला सोरेन 2. लालु सोरेन, उक्त जमीन 20–21 वर्षों से जोत आबाद कर रहें हैं। उत्तरवादी शेख पप्पु, पिता–शेख छंगुरी, ग्राम–कसवा के निवासी है, तथा प्रश्नगत जमीन पर दखल वर्तमान में कायम नहीं है। चूँकि वह जमीन रैयती है तथा कुर्फानामा एवं शपथ पत्र के द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता को प्राप्त हुआ था। आगे प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त प्रतिवेदित भूमि जमाबंदी की रैयती जमीन है। अपीलकर्त्ता को कुर्फानामा के आधार पर जोत आबाद प्रतिवेदित है। कुर्फानामा को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। प्रतिवेदित भूमि रैयती जमाबंदी होने के कारण अहस्तांतरणीय है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, अभिलेखबद्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बुधासन नं0–01 के जमाबंदी सं0–21 कुल रकवा 05–14–14 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख योगी वल्द शेख असतल्ली वो शेख हुसैनी वल्द शेख मुंशी के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–798 रकवा 02–17–07 धुर जमीन कुर्फा बंदोवस्ती से प्राप्त करने का दावा किया है एवं अपीलकर्त्ता की ओर से सादा कुर्फानामा का छाया प्रति एवं शपथ पत्र सं0–4515 दिनांक–03.06.1998 का छाया प्रति दाखिल किया गया है। लेकिन कुर्फा 1949 के पूर्व का है, इससे संबंधित कोई भी साक्ष्यजनित कागजात अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल नहीं किया गया। 1998 ई0 का तैयार शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी, मेहरमा के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का

दखल 20–21 वर्ष से है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता 1949 के बारह वर्ष पूर्व का साक्ष्यजनित कागजात दाखिल करने में सफल नहीं रहें हैं। इसलिए अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर प्रतिकूल प्रभाव से दखल के आधार पर हक के दावा स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय से भिन्न कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–27/12–13 (शेख पप्पु बनाम् ताला सोरेन वगै0) आदेश दिनांक–04.01.2014 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/08/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

28/08/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 12:25:13 +05:30
Location: 192.168.29.32